संख्या-5/2017/1286/94-1-2017-218(14)/2013

प्रेषक,

प्रांजल यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक: 07 जुलाई, 2017**

विषय:- साफ्टवेयर के विकास एवं सिक्योरिटी आडिट हेतु एन0आई0सी0 को अग्रिम धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1651/शि0का0लख0/2017 दिनांक 24.05.2017 एवं पत्र संख्या-1907/शि0का0लख0/2017 दिनांक 12.06.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एन0आई0सी0 को अग्रिम धनराशि रू0 38.82 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-91 के लेखाशीर्ष-2030-03-पंजीकरण-001-निदेशन तथा प्रशासन के मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु रू0 140.00 लाख की व्यवस्था उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-4/2017/660(1)/94-1-2017-218(1)/2017 दिनांक 21.04.2017 द्वारा अनुदान संख्या-91 के लेखाशीर्ष-2030-03-पंजीकरण-001-निदेशन तथा प्रशासन के मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु रू0 58.33 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

3- आपके उक्त पत्र संख्या-1651/शि0का0लख0/2017 दिनांक 24.05.2017 एवं पत्र संख्या-1907/शि0का0लख0/2017 दिनांक 12.06.2017 द्वारा एन0आई0सी0 द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना एवं व्यय का विवरण उपलब्ध कराते हुए एन0आई0सी0 को रू0 38.82 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है, के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-91 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लेखाशीर्ष-2030-03-पंजीकरण-001-निदेशन तथा प्रशासन के मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु धनराशि रू0 3805.403 हजार (रूपये अड़तिस लाख पांच हजार चार सौर तीन मात्र) एन0आई0सी0 को अग्रिम भुगतान हेतु अग्रिम आहरण की अनुमति वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69 दिनांक 25.10.1983 एवं संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10.06.2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

i. धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो भी ब्याज (फिक्स्ड डिपाजिट पर देय ब्याज) अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा करा दिया जायेगा।

ii. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

iii. उक्त धनराशि का आहरण कोषागार से एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु तीन-तीन माह की आवश्यकता के अनुसार अग्रिम की उक्त धनराशि 04 किश्तों में (माह अप्रैल से जून, माह जुलाई से सितम्बर, माह अक्टूबर से दिसम्बर एवं माह जनवरी से मार्च) हेतु आहरित की जायेगी।

iv. चारो त्रैमासों का समायोजन यथा समय एन0आई0सी से प्राप्त कर महालेखाकार से अग्रिम के समायोजन की कार्यवाही आपके स्तर सुनिश्चित करा ली जायेगी, ताकि तदनुसार वित्त विभाग को अवगत कराया जा सके।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-एफ0ए0-1-202/दस-2017 दिनांक 04.07.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रांजल यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-5/2017/1286(1)/94-1-2017-218(14)/2013 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।

5- उप महानिदेशक, एन0आई0सी0, उ0प्र0 राज्य यूनिट, योजना भवन-9, सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ।

6- निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।

7- वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्टेशन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 ।

9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।

10 - वित्त (लेखा) अनुभाग-1 ।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।